निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

सूचना पुस्तिका

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

जी हाँ, जमा बीमा की सीमा तक जमाराशियाँ सुरक्षित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सुदृढ़ विनियमन और पर्यवेक्षण और बैंकों की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के कारण उनके पास पर्याप्त पूंजी है, वे सुप्रबंधित और प्रभावी रूप से विनियमित हैं।

ओह! शायद आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात कर रहे हैं!

जमा बीमा भारत में परिचालित सभी बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारत में परिचालित विदेशी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक भी शामिल हैं ।
वाणिज्यिक बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारत में विदेशी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक जैसे राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक, जो डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत हैं, बीमाकृत हैं। आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी बैंकों के लिए जमा बीमा कवर प्राप्त करना अनिवार्य है।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

लेकिन कभी-कभी आरबीआई द्वारा किसी न किसी बैंक को बंद करने की खबर आती रहती है। इन बैंकों में रखी गई मेरी जमाराशियों का क्या होगा ? मैं एक छोटा जमाकर्ता हूँ।

बैंक समाधान एक ऐसी गतिविधि है जो जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। एक निश्चित सीमा तक की आपकी जमाराशियाँ (वर्तमान में प्रति जमाकर्ता ₹ 5 लाख) बीमाकृत हैं और आपके बैंक के परिसमापन/बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशियों की निकासी पर प्रतिबंधों के साथ "सर्व समावेशी निदेशों" के तहत रखे जाने की स्थिति में आपको वापस भुगतान किया जाता है। उपरोक्त सीमा तक आपकी जमाराशियाँ बीमाकृत हैं, हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी न हो।

परंतु मेरी जमाराशियों की बीमा कौन करता है?

आपकी जमाराशियों का बीमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा (डीआईसीजीसी) द्वारा किया जाता है। यह विश्व की दूसरी सबसे पुराना जमा बीमाकर्ता है जो चुपचाप जमाकर्ताओं विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा कर रहा है।

यह भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था है जिसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम द्वारा की गई है।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

यह तो ठीक है पर निगम द्वारा कितना प्रीमियम लिया जाता है?

आपको कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ता । हालाँकि, डीआईसीजीसी द्वारा बैंकों से बहुत मामूली सा प्रीमियम लिया जाता है। संभवत: आपको इसकी जानकारी नहीं होगी क्योंकि अन्य बैंक शुल्क की तरह यह प्रीमियम आपसे नहीं वसूला जाता।

अगर हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है, तो हमें जमा बीमा की आवश्यकता क्यों है?

भारत में एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के बावजूद, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंकिंग प्रणाली में उनके भरोसे और विश्वास को लगातार मजबूत करने के लिए सुरक्षा कवच की विभिन्न परतें हैं। जबकि अधिकांश देशों ने हाल के वर्षों में इस सुरक्षा कवच के महत्व को महसूस किया है, भारत ने 1961 में ही जमा बीमा प्रणाली की स्थापना कर दी थी।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

कृपया मुझे अपनी बीमा योजना के बारे में संक्षेप में बताएं।

यह बीमाकृत बैंक में सभी प्रकार की जमाराशियों (जैसे बचत, सावधि, आवर्ती, आदि) का बीमा करती है, लेकिन इसमें विदेशी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य बैंक से प्राप्त जमाराशियाँ या भारत के बाहर प्राप्त कोई भी जमाराशि शामिल नहीं है।

परिसमापन/बैंक का लाइसेंस रद्द होने/ जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर "सर्व समावेशी निदेश" लगाए जाने की तारीख तक अर्जित ब्याज सहित मूलधन की शेष राशि को निगम द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपये की सीमा तक पूरी तरह से निपटाया जाता है।

उपर्युक्त सीमा के प्रयोजन के लिए, संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में "समान अधिकार और समान क्षमता" में रखे गए जमाकर्ता के सभी जमा खातों को एक साथ जोड़ दिया जाता है।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

हालांकि, समान क्षमता में लिए गए ऋण को ब्याज सहित जमाराशियों के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद दावे का निपटान किया जाता है।

इसके अलावा, विभिन्न बैंकों में और विभिन्न अधिकारों/क्षमताओं में रखी गई जमाराशियों को क्लब नहीं किया जाता है।

उदाहरण के लिए, श्री 'ए' द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और किसी फ़र्म के भागीदार के रूप में एक ही बैंक में रखे गए खाते को जमा बीमा के उद्देश्य से दो अलग-अलग खातों के रूप में माना जाता है और प्रत्येक खाता 5 लाख रुपये की सीमा तक अलग-अलग बीमा कवर के लिए पात्र है।

इसी तरह, यदि श्री 'ए' और श्री 'बी' संयुक्त रूप से दो खाते रखते हैं, जिसमें एक खाते में श्री 'ए' पहले धारक के रूप में और दूसरे खाते में श्री 'बी' पहले धारक के रूप में हैं, तो इन दो खातों (यानी, ए + बी और बी + ए) को जमा बीमा के उद्देश्य से अलग-अलग खातों के रूप में माना जाएगा।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

क्या मुझे किसी अन्य बीमा दावे की तरह निर्दिष्ट अवधि के भीतर दावा करना होगा?

परिसमाप्त बैंक: नहीं, बैंक परिसमापन की अप्रत्याशित स्थिति में जमाकर्ता को कोई दावा करने की आवश्यकता नहीं है, आधिकारिक परिसमापक, परिसमापक के रूप में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर आपकी ओर से दावा करेगा और डीआईसीजीसी वैध बीमा दावों का यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में परिसमापक से दावा प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "सर्व समावेशी निदेशों" के अंतर्गत रखे गए बैंक, जिनमें जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध है:

ऐसे बैंकों के जमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित बैंक अधिकारियों से संपर्क करें, वैकल्पिक बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित सम्मति फॉर्म तुरंत जमा करें, ताकि संबंधित बैंक डीआईसीजीसी द्वारा बैंक को दी गई कट-ऑफ तारीख से पहले 5 लाख रुपये की बीमित राशि तक, जमाकर्ताओं के दावों की सूची डीआईसीजीसी को प्रस्तुत कर सकें, ताकि डीआईसीजीसी द्वारा डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अनुसार देयता का निर्वहन किया जा सके।

क्या बैंक में रखी गई मेरी जमाराशियाँ सुरक्षित हैं?

क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए?

बैंक के जमाकर्ता के रूप में, आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेहनत की कमाई कितनी सुरक्षित है ताकि आप अपने जोखिमों का प्रबंधन कर सकें। आप जाँच सकते हैं कि जिस बैंक में आप अपना पैसा लगा रहे हैं, वह डीआईसीजीसी द्वारा बीमाकृत बैंकों की सूची में है या नहीं। आपको खाता खोलने के लिए सभी केवाईसी आवश्यकताओं का भी पालन करना चाहिए और जमा स्वीकार करने वाले बैंक को पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि डीआईसीजीसी द्वारा दावा निपटान, यदि आवश्यक हो, बिना देरी के किया जा सके।

मैं जमा बीमा के बारे में और अधिक कैसे जान सकता हूँ?

आप डीआईसीजीसी की वेबसाइट www.dicgc.org.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या अपने विशिष्ट प्रश्नों को dicgc@rbi.org.in पर ईमेल कर सकते हैं

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय रिज़र्व बैंक (दूसरी मंजिल),
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई- 400008